

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जत उपरखण्ड अधिकारी मुकाम सेंजल
गौडया बनाम शमसहाय
 क्रमा दावा नं. 207/2022 सन _____

प्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----	-----------------------------------	--

१/१/२५ आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक २५/१/२५ को पेश हो।

२५/१/२५ आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक ६/१०/२५ को पेश हो।

६/१०/२०२५ पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी गण अथ अधिकारों अनुपस्थित हैं। वादी व वादी अधिकार गत उ(सीन) तारीख पेशी पर भी उपस्थित नहीं रहे हैं। वादी व वादी अधिकार को न्यायालय में बाल-बाल कल-कलकल जमाना दिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः वादी का बाढ़ आदेश ७ नियम ३ के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज लिमा जाता है। प्रकरण नैसल सुमाट होकर नम्बर से काम हो तथा कलकल कारिबल हो।